भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1858
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

समान नागरिक संहिता कानून

1858. श्री राजकुमार रोत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, तथा उन राज्यों के नाम बताएं जहां वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है ;

(ख) क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने यह परिकल्पना की थी कि समान नागरिक संहिता को देश के विभिन्न वर्गों, समुदायों आदि से संबंधित सभी नागरिकों की आपसी सहमति से लागू किया जाना चाहिए तथा इसे एकतरफा रूप से उन पर नहीं थोपा जाना चाहिए ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समूहों/समुदायों से चर्चा की है/उनके विचार मांगे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समुदाय-वार और समूह-वार किन व्यक्तियों/समूहों से सहमति प्राप्त की गई है ; और

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों में उन व्यक्तियों /समूहों/समुदायों का ब्यौरा क्या है जिनसे सहमति प्राप्त की गई थी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए।

(ख) : भारतीय संविधान के निर्माता डॉ.बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में सुसंगत उपबंध पेश करते हुए कहा था कि इस देश में मानवीय संबंधों के लगभग हर पहलू को कवर करने वाली एक समान विधि संहिता है। एकमात्र ऐसा प्रांत जिस पर नागरिक विधियां अब तक अपना प्रभाव नहीं जमा पाई हैं, वह विवाह और उत्तराधिकार हैं और इसलिए संविधान के एक भाग के रूप में प्ररूप अनुच्छेद 35 (अब अनुच्छेद 44) उपबंधित किया गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की परीक्षा करने और उस पर सिफारिशें करने का प्रस्ताव 21वें भारतीय विधि आयोग (एल.सी.आई.) को किया है। इस संबंध में, 21वें भारतीय विधि आयोग द्वारा व्यापक विचार-विमर्श के लिए परामर्श पत्र जारी किया गया था। तथापि, उनके द्वारा इस विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। 22वें भारतीय विधि आयोग ने तारीख 14.06.2023 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस विषय पर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार और सुझाव आमंत्रित करने का फिर से निर्णय लिया। 22वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल इस विषय पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही समाप्त हो गया है। विधि आयोग अपनी रिपोर्ट बनाते समय यह सुनिश्चित करता है कि विधि में सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार करने में लोगों/पणधारियों के

बृहत् वर्गों से परामर्श किया जाए। इस प्रक्रिया में, आयोग व्यक्तियों, वृत्तिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों आदि से परामर्श करता है।

****